अध्याय – 18
मैनुअल – 17
अन्य उपयोगी जानकारियाँ

विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया–

विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र को पूर्णतः भरकर सम्बन्धित सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित राशि सहित प्रस्तुत करना होता है। कनैक्शन लेने का इच्छुक व्यक्ति राशि की जानकारी एवं फार्म भरने आदि में उपभोक्ता लिपिक से सहायता प्राप्त कर सकता है।

इसके पश्चात् सहायक अभियंता द्वारा तकनीकी साध्यता के अनुसार तकमीना बनाकर सम्बन्धित व्यक्ति को शेष राशि यदि कोई हो तो उस राशि का मांगपत्र उसके पते पर प्रेषित किया जाता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को मांगी गयी राशि के साथ अपने परिसर में कनैक्शन हेतु फिटिंग का प्रमाण पत्र (एल फार्म) देना होता है। एल फार्म विद्युत निरीक्षक द्वारा अधिकृत एवं अनुज्ञापत्र धारक व्यक्ति/फर्म ही दे सकता है। तत्पश्चात सहायक अभियंता द्वारा कनैक्शन जारी करने का आदेश सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को पालनार्थ भेज दिया जाता है। सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता वरीयता के क्रम में विद्युत कनैक्शन स्थापित कर देता है।

विच्छेदित विद्युत कनैक्शन को दुबारा कराने की प्रक्रिया–

स्थायी रूप से विच्छेदित विद्युत कनैक्शन को कनैक्शन विच्छेद करने के पश्चात् निम्न अवधि में पुनः जुड़वाया जा सकता है–

1. कृषि श्रेणी उपभोक्ता – 15 वर्ष
2. अन्य उपभोक्ता – 02 वर्ष

इस अवधि में विद्युत उपभोक्ता को निश्चित प्रपत्र में पुनः कनैक्शन हेतु सम्बन्धित सहायक अभियंता के कार्यालय में अपनी खाता संख्या, सर्विस संख्या व श्रेणी का उल्लेख करते हुए आवेदन करना होता है। यह प्रपत्र सहायक अभियंता कार्यालय में उपलब्ध होता है। कनैक्शन को दुबारा जारी करने के लिये जयपुर डिस्कॉम श्रेणी अनुसार निर्धारित फीस लेता है। निम्न दाब (एल.टी.) उपभोक्ताओं से सिंगल फेज एवं थ्री फेज हेतु पुनः कनक्शन शुल्क क्रमशः 200 रुपये एवं 500 रुपये निर्धारित है। अन्य श्रेणियों की जानकारी सहायक अभियंता कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

विद्युत कनैक्शन विच्छेद कराने की प्रक्रिया–

विद्युत कनैक्शन का विच्छेदन कनैक्शन जारी होने के एक वर्ष की अवधि के पूरा होने के पश्चात् एक माह का नोटिस देते हुए करवाया जा सकता है। एक साल से पहले विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाने के लिये एक वर्ष पूरा होने से शेष रही अवधि की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होता है।

विद्युत कनैक्शन विच्छेद कराने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपनी संपूर्ण देय राशि का भुगतान करना होता है। अंतिम भुगतान करते समय उपभोक्ता की जमा प्रतिभूति का भी समायोजन कर दिया जाता है। इस कार्य की कोई फीस नहीं ली जाती है।

विद्युत भार बढ़वाने/घटवाने की प्रक्रिया–

विद्युत उपभोक्ता अपने स्वीकृत विद्युत भार को आवश्यकतानुसार बढ़वा/घटवा सकता है परंतु विद्युत भार प्रारंभिक एक वर्ष की अवधि में घटवा नहीं सकता है।

विद्युत भार बढ़वाने अथवा घटवाने के लिये उसे सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में निश्चित प्रपत्र में अपने पूर्ण विवरण यथा– श्रेणी, खाता संख्या, स्वीकृत विद्युत भार, वांछित विद्युत भार आदि सहित आवेदन कर सकता है। इसके लिये सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा तकनीकी साध्यता की जांच कर तदनुसार मांगपत्र जारी किया जाता है। यदि श्रेणी परिवर्तन होता है तो उसे श्रेणी के अनुसार प्रतिभूति एवं अन्य मदों पर देय राशि का भुगतान करना होता है। यदि श्रेणी परिवर्तन नहीं होता है तो केवल प्रतिभूति राशि का अंतर देय होता है।

यदि विद्युत उपभोक्ता स्वीकृत भार से वांछित विद्युत भार के अंतर का 500 रूपये प्रति किलोवाट/एच.पी. /के.वी.ए. की दर से पूर्ण रूप से आवेदन प्रपत्र भरकर एल फार्म के साथ सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवा देता है तथा सहायक अभियंता से उसे किसी तरह की सूचना/स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तथा वह अन्य शर्तों को पूरी करता हो तो 30 दिन पश्चात् स्वतः विद्युत भार बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

विद्युत मीटर की जांच करवाने की प्रक्रिया–

यदि उपभोक्ता अपने विद्युत मीटर की दक्षता से संतुष्ट नहीं है तो वह अपने विद्युत मीटर की जांच करवा सकता है। इसके लिये उसे सादा कागज पर अथवा मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिये निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित फीस के साथ आवेदन करना होता है। इस हेतु निम्नदाब (एल.टी.) उपभोक्ता को सिंगल फेज मीटर हेतु 35.00 रुपये

तथा थ्री फेज मीटर हेतु 70.00 रुपये शुल्क जमा करवाने होते हैं। अन्य श्रेणियों के लिये अलग–अलग शुल्क निर्धारित हैं जिनका विवरण सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

खातेदार का नाम बदलवाने की प्रक्रिया–

यदि कोई विद्युत उपभोक्ता अपने आवासीय/औद्योगिक परिसर को बेच देता है तो क्रेता को नियमानुसार विद्युत कनेक्शन अपने नाम करवाने की सुविधा दी जाती है। इस हेतु क्रेता को सम्पत्ति क्रय करने का प्रमाण, निर्धारित आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क तथा प्रतिभूति राशि का अंतर सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवाना होता है।

सामान्य शिकायतें दर्ज करवाने की प्रक्रिया–

विद्युत उपभोक्ता अपने परिसर में आने वाली विद्युत आपूर्ति के बाधित होने पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकता है। इसके लिये जयपुर नगर, 155333 नगर तथा 2208999 में कॉल सेंटर की व्यवस्था की गयी है। जयपुर नगर के समस्त विद्युत उपभोक्ता दूरभाष संख्या 1912 पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। जहाँ कॉल सेंटर स्थापित नहीं किये गये हैं वहाँ अलग–अलग क्षेत्रों में उपभोक्ता शिकायत केंद्र स्थापित किये गये हैं जिन पर व्यक्तिशः अथवा दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Details of call centers:-

टैरिफ का निर्धारण–

जयपुर डिस्कॉम द्वारा अपने उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली टैरिफ का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा व्यापक जनसुनवाई के पश्चात किया जाता है। टैरिफ की सूचना के लिये अलग से ''टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रीसिटी'' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है। जिसे सांकेतिक मूल्य (वर्तमान में 15.00) पर आम जन को उपलब्ध करवाया जाता है।

क्या कोई उपभोक्ता अपने आवासीय परिसर में स्थापित वाणिज्यिक संस्थान में घरेलू श्रेणी विद्युत कनैक्शन से विद्युत उपभोग कर सकता है ?

जयपुर डिस्कॉम द्वारा अपने उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गयी है कि वे उन मामलों में अपने आवासीय परिसर में लगे घरेलू श्रेणी विद्युत कनैक्शन से आवासीय परिसर में स्थित वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक इकाई में विद्युत का उपभोग कर सकता है जिनमें कि–

(1.) वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक गतिविधि में कुल विद्युत भार 2 किलोवाट से कम हो।

(2.) उस आवासीय परिसर की पंक्ति में तथा उसके सामने वाली पंक्ति में स्थित भवनों में दुकानों/वाणिज्यिक संस्थानों की संख्या कुल मकानों की 25 प्रतिशत अथवा उससे कम हो तथा

(3.) वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक इकाई को केवल घर के सदस्य ही मिलकर चलाते हों तथा कोई भी कर्मचारी नियुक्त न हो।

क्या कोई उपभोक्ता अपने आवासीय परिसर में घरेलू श्रेणी में दो विद्युत कनैक्शन प्राप्त कर सकता है ?

जयपुर डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं को एक आवासीय परिसर में एक नाम से एक ही घरेलू श्रेणी विद्युत कनक्शन की सुविधा देता है। एक ही आवासीय परिसर में एक से अधिक परिवार रहते हों तो मकान मालिक की सहमति से अन्य परिवार/परिवारों को भी घरेलू श्रेणी विद्युत कनैक्शन दे सकता है। यदि आवासीय परिसर में वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक संस्थान स्थापित है तो उसके लिये अघरेलू श्रेणी का एक और कनैक्शन लिया जा सकता है।

जयपुर डिस्कॉम द्वारा किये जाने वाले पंजीकरण–

जयपुर डिस्कॉम द्वारा तीन तरह के पंजीकरण किये जाते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है–

1. **संविदा पर कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण**– यह पंजीकरण मुख्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों से नियमानुसार पंजीकरण राशि/प्रतिभूति ली जाती है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदार को निविदा भरते समय धरोहर राशि में नियमानुसार छूट होती है।

2. **विभिन्न श्रेणियों के आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण**– यह पंजीकरण मुख्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों से नियमानुसार पंजीकरण राशि/प्रतिभूति ली जाती है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदार को निविदा भरते समय धरोहर राशि में नियमानुसार छूट होती है।

3. **विद्युत चोरी की सूचना देने वाले इन्फॉर्मर्स का पंजीकरण**– जयपुर डिस्कॉम कार्यक्षेत्र में स्थित विद्युत उपभोक्तओं के यहाँ हो रही विद्युत चोरी की सूचना देने वाले व्यक्तियों को वसूल की गयी राशि का दस प्रतिशत अधिकतम पन्द्रह हजार रूपये प्रति प्रकरण नियमानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस हेतु सूचना दाता संभागीय मुख्य अभियंता/मुख्य अभियन्ता(मीटरर्स)/संबंधित अधिक्षण अभियन्ता/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्तकता के कार्यालय में तथा विभिन्न सहायक अभियंताओं के कार्यालयों में सूचना दे सकता है। सूचना दाता का नाम, पता एवं पहचान गुप्त रखी जाती है।

4. **विज्ञापन एजेंसियों का पंजीकरण**– जयपुर डिस्कॉम के जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा विभिन्न निविदा सूचनाओं/विज्ञापनों का प्रकाशन करवाने के लिये आई.एन.एस एक्रीडेटेड एजेंसियों का पंजीकरण किया जाता है। इसके लिये ऐजेंसी को पचास हजार रुपये की प्रतिभूति जयपुर डिस्कॉम में जमा करवानी होती है।

अन्य जानकारी–

मीटर की धरोहर राशि, मीटर बॉक्स की कीमत, ट्रांसफॉर्मर का किराया, रीसीलिंग चार्जेज, विभिन्न कार्यों के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क, प्रार्थना पत्र के साथ जमा करवाई जाने वाली राशि, धरोहर राशि, डुप्लीकेट बिल जारी करवाने का शुल्क, अन्य नियमों आदि की जानकारियों एवं विभिन्न कार्यों हेतु देय शुल्क की संपूर्ण जानकारी हेतु जयपुर डिस्कॉम द्वारा ''टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स फॉर सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रीसिटी– 2004'' का प्रकाशन करवाया गया है जिसे सांकेतिक मूल्य (वर्तमान में 30.00) पर आम जन को उपलब्ध करवाया जाता है।

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर ।

- विद्युत कनेक्शन बाबत्
- विद्युत कटौती के संबंध में
- विद्युत बिल ज्यादा आने के संबंध में
- गांवों के विद्युतीकरण बाबत्
- विद्युत तंत्र में सुधार बाबत्
- वोल्टेज व्यवधान बाबत्

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

- आवेदन पत्र का प्रारूप

1 आवेदक का नाम

2 पता

3 सूचना की विशिष्टयां

(1) उस विभाग के कार्यालय का नाम जिससे संबंधित है

(2) सूचना की प्रकृति

(3) सूचना का पूर्ण ब्यौरा

(4) क्या फीस के संदाय का सबूत संलग्न कर दिया गया है

बैकर्स चैक, मांग पत्र, पोस्टल आर्डर का विवरण

1. क्रमांक
2. जारी किये गये बैंक का नाम
3. राशि

सूचना प्राप्त करने वाले हस्ताक्षर
मय दिनांक

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में :
निगम द्वारा आम जनता के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नही किये जाते है अतः 18.3 के विभिन्न बिन्दुओं में जानकारी देना अपेक्षित नही है ।

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो की मैन्युवल 13 में ना सम्मिलित हो :

निगम द्वारा आम जनता को किसी प्रकार के प्रमाण पत्र जारी नही किये जाते है । अतः 18.4 के विभिन्न बिन्दुओं में जानकारी देना अपेक्षित नही है ।

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध मे :

निगम द्वारा पंजीयन संबंधित कार्य नही किये जाते है । अतः 18.5 के विभिन्न बिन्दुओं में जानकारी देना अपेक्षित नही है ।

18.6 लोक प्राधिकरण (Muncipal Corproation, Trade Tax, Entertainment Tax etc.) द्वारा टेक्स लेने के संबंध में :

इस निगम का इनसे कोई संबंध नही है । अतः 18.6 के बिन्दुओं में जानकारी देना अपेक्षित नही है।

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन की अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा दी जा सकती है)

आवेदक की पात्रता	बिजली कनेक्शन लेने हेतु आवेदनकर्ता द्वारा निगम द्वारा जारी मांग पत्र की राशि जमा कराने व आवेदनकर्ता को बिजली की लाईसेंसधारी ठेकेदार से फिटिंग करवाकर प्रमाण पत्र (फॉर्म) देने के पश्चात कनेक्शन जारी किया जाता है ।
पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	
आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें	आवेदन करने के लिए संबंधित सहायक अभियन्ता (पवस/ग्रामीण) के कार्यालय में सम्पर्क करें ।
आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	आवेदन शुल्क विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के लिए सबंधित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में जमा कराना होगा । 1. आवेदन शुल्क **<u>एल.टी.विद्युत सप्लाई के लिएः–</u>** (अ) कृषि कनेक्शन के लिए सामान्य श्रेणी हेतु 75/– रूपये व विशेष श्रेणी के लिए 250/– रूपये प्रार्थना पत्र शुल्क है तथा प्रार्थना पत्र के साथ अग्रिम राशि सामान्य श्रेणी के लिए 2500/– रूपये व अनुसूचित जाति,जनजाति उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति और सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के अनुसूचित जाति के लिए 250/– रूपये तथा विशेष श्रेणी के लिए 5000/– रूपये अग्रिम राशि जमा करायी जाएगी । अग्रिम राशि मांग पत्र में समायोजित की जाएगी (ब) एल.टी.सिंगल फेस—————— रूपये 200/– एल.टी.तीन फेस—————— रूपये 500/– **<u>एस.टी.विद्युत सप्लाई के लिए</u>** :– (अ) 11के.वी. के लिए——————रूपये 1000/– (ब) 33के.वी. के लिए——————रूपये 2000/– (स) 132के.वी. के लिए—————रूपये 4000/– (द) 220के.वी. के लिए——————रूपये 4000/–
अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो)	(1) कृषि कनेक्शन के लिए मांग पत्र की राशिः– **(अ) सामान्य श्रेणी** 10 हॉर्स पावर तक–रूपये <u>2500/–प्र.हॉ.पा</u> 10 हॉर्स पावर से अधिक परन्तु 20 हॉ.पा तक–रूपये 1000/–प्र.हॉ.पा अतिरिक्त 20 हॉर्स पावर से अधिक रूपये 7500/–प्र.हॉ.पा अतिरिक्त उपरोक्तानुसार राशि एवं अमानता राशि का मांग पत्र जारी किया जाएगा । **(ब) विशेष श्रेणी** 1. 11के.वी./एलटी लाइन रू 100/– प्रति मीटर. रू. 2000/– प्रति पोल । (यदि 90 मीटर स्पॉन पर एक पोल लगता है तो चार्जेज 9000/–. 2000/– त्र 1100 रू होगी) 2. एलटी लाइन को 11केवी में बदलने के लिए रू 55/–प्रति मीटर । 3. सिंगल फेस को थ्री फेस करने के लिए रू 75/– प्रति मीटर ।

	जिन मामलों में केवल सर्विस लाइन लगानी है या कुएं पर एक ही पोल लगाना है उन्हे भी एक पोल की कीमत रू. 11,000 देनी होगी । **4. सब स्टेशन/ट्रांसफार्मेशन चार्जेज** विशेष श्रेणी में सब स्टेशन/ ट्रांसफार्मेशन चार्जेज रू. 1450/– प्रति हॉर्स पावर मांग पत्र के साथ लिये जावेंगे जिसको वापिस नहीं किया जायेगा । **5. सर्विस कनेक्शन चार्जेज** विशेष श्रेणी के कृषि आवेदको के लिए निम्नलिखित राशि ली जायेगी :– 3.1 10 हॉ.पा. तक रू. 1750/– 3.2 10 हॉ.पा. से अधिक रू.2200/– (2) **(A)** <u>राशि जो आवेदन पत्र के साथ जमा कराई जाएगी</u> :– (1) **एल.टी.विद्युत सप्लाई के लिए** :– क्र स उपभोक्ता की श्रेणी जमा कराने की राशि (रू.) 1 घरेलू जनजाति उपयोजना श्रेत्र–750/– ग्रामीण 1500/– कच्ची बस्ती 2000/– शहरी 3000/– 2 अघरेलू **<u>ग्रामीण</u>** भार 1 कि.वा.तक–2000 रू. भार 1 कि.वा.–5 कि.वा.––3000 रू. भार 5 कि.वा.–10 कि.वा.–5000 रू. भार 10 कि.वा. से अधिक के लिए रू. 250/– अतिरिक्त प्र.कि.वा. या अंश के लिए लिए जाएगें **<u>शहरी</u>** भार 1 कि.वा.तक–3000 रू. भार 1 कि.वा.–5 कि.वा.–4000 रू. भार 5 कि.वा.–10 कि.वा.–6000 रू. भार 10 कि.वा. से अधिक के लिए रू. 250/– अतिरिक्त प्र.कि.वा. या अंश के लिए लिए जाएगें
आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए व बताए कि आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नांकित है जो कि सहायक अभियन्ता कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध रहता है । प्रारूप के साथ ही अन्य जानकारी का विवरण भी प्रस्तुत है ।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

नये विद्युत सम्बन्ध के लिए आवेदन/अनुबन्ध प्रपत्र

(वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ 1 (24) वित्त/शुल्क 196 दि. 19.04.04 के अनुसरण में समेकित स्टाम्प ड्यूटी जमा)

श्रीमान् सहायक अभियन्ता
........................उप खण्ड
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

....

1. आवेदक का नाम :–..
2. पिता/पति का नाम :–..
3. पूरा पता :–..
....
....
4. टेलीफोन नम्बर :–..
5. मोबाइल नम्बर :–..
6. कनेक्शन की श्रेणी :– घरेलू ☐ अघरेलू (दुकान, कार्यालय, होटल, मंदिर, अस्पताल, स्कूल इत्यादि हेतु) ☐
7. आवेदक की स्थिति :– मकान मालिक ☐ किराएदार ☐
8. आवेदित सम्बद्ध भार :– .... किलोवाट
(सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 1 देखें)
9. आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि :–
(सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 2 देखें)

(i) प्रार्थना पत्र शुल्क .... (ii) स्टाम्प ड्यूटी शुल्क ....
(iii) मीटर बॉक्स कीमत.............. (iv) मीटर सुरक्षा राशि ....
(v) सुरक्षा राशि...................... (vi) सरकारी आवास में रह रहे कर्मचारी हेतु उपरोक्त
(vii) सर्विस कनेक्शन शुल्क.............. (iv) एवं (v) (viii) अन्य कोई..........के स्थान पर सुरक्षा राशि

कुल योग रूपए ____________________

10. संलग्न दस्तावेज :– ☐ एल फार्म किरायेदार होने पर अनुबन्ध पत्र ☐ मकान मालिक होने पर
(सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 3 देखें तथा जो अथवा क्षतिपूर्ति बंध पत्र भवन/परिसर के स्वामित्व के प्रमाण हेतु जो दस्तावेज लागू हो उस पर सही का ☐ निशान लगावें)
11. मैनें इस आवेदन/अनुबन्ध प्रपत्र के पीछे लिखी सभी शर्ते पढ़ एवं समझ ली है इन सभी शर्तों से मैं सहमत हूं कि ब्डक्त परिसर में कोई बकाया राशि निकलने पर मैं इसे जमा कराने को तैयार हूं तथा इस प्रार्थना पत्र में कोई भी गलत सूचना देने पर अनुबंध को रद्द किया जा सकता है एवं यदि विद्युत सम्बंध दे दिया गया है तो, इस आधार पर विद्युत सम्बंध काटा जा सकेगा।

साक्षी के हस्ताक्षर	**आवेदक के हस्ताक्षर**
नाम :–	**नाम :– ....**
पता :–	**पता :– ....**
दिनांक	

प्राप्ति रसीद

रू. .... रसीद संख्या .... दिनांक .... से प्राप्त किये।

प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन अनुबन्ध प्रपत्र भरने हेतु सहायक जानकारी

1. आवेदन/अनुबंध प्रपत्र के क्रम संख्या 8 के क्रम में (आवेदित सम्बद्ध भार की गणना निम्नानुसार करें) :–

क्र. सं.	भार का वर्णन	संख्या	वॅाटेज	कुल वॅाटेज
1	2	3	4	5
1	बल्ब/फेन/लाईट प्लग (5 एम्पी)		60 वॅाट	वॅाट
2	ट्यूब लाईट		40 वॅाट	वॅाट
	टेलीविजन कलर/		100 वॅाट	वॅाट
4	पावर प्लग (15 एम्पी)		500 वॅाट	वॅाट
5	फ्रिज/कूलर		250 वॅाट	वॅाट
6	गीजर		1500 वॅाट	वॅाट
7	एयर कण्डीशनर 1/1.5 टन		1500/2200 वॅाट	वॅाट
कुल योग				**वॅाट**

2. आवेदन/अनुबंध प्रपत्र के क्रम संख्या 9 के क्रम में :–

(i) प्रार्थना पत्र शुल्क :– सिंगल फेज रू. 200/–, थ्री फेज रू. 500/–

(ii) स्टाम्प ड्यूटी :–रू.10/–(किरायेदार/कब्जेदार होने पर स्टाम्प शुल्क 100/रू. अतिरिक्त देय होगा)

(iii) मीटर बॉक्स कीमत रू.:– सिंगल फेज मीटर रू. 350/–, थ्री फेज रू. 950/–

(iv) मीटर सुरक्षा राशि :– सिंगल फेज राशि रू. 350/–, थ्री फेज राशि रू. 650/–

(v) सुरक्षा राशि (प्रोविजनल):– मकान मालिक हेतु घरेलू –100/– रू. प्रति कि.वा., अघरेलू – 200/– रू. प्रति कि.वा., किराएदार हेतू इस दर का दुगना।

(vi) सरकारी आवास में रह रहें कर्मचारी हेतु उपरोक्त (पअद्ध एवं (अद्ध के स्थान पर सुरक्षा राशि निम्नप्रकार लगेगी :–

निवास स्थान का प्रकार	सिक्यूरिटी पूंजी	निवास स्थान का प्रकार	सिक्यूरिटी पूंजी
'ए' टाईप	रू. 800/–	'ई' टाईप	रू. 200/–
'बी' टाईप	रू. 500/–	'एफ' टाईप	रू. 150/–
'सी' टाईप	रू. 300/–	'जी' टाईप	रू. 150/–
'डी' टाईप	रू. 200/–	'एच' टाईप	रू. 150/–

(vii) सर्विस कनेक्शन शुल्क :–

घरेलू – कच्ची बस्ती रू. 2000/–, अन्य क्षेत्र रू. 3000/–

अघरेलू – 1 कि.वा. भार तक रू. 3000/–, 1 कि.वा. से ऊपर 5 कि.वा. तक रू. 4000/–, 5 कि.वा. से ऊपर 10 कि.वा. तक रू. 6000/–, 10 कि.वा. से ऊपर अतिरिक्त 250/–रू. प्रति कि.वा. के लिये या उसके एक भाग पर

3 (i) एल फार्म–परिसर में बिजली की फिटींग विद्युत अधिनियम 2003 के अनुरूप है का सर्टिफिकेट लाइसेन्सधारी/ मान्यता प्राप्त ठेकेदार का मान्य है।

(ii) **जमा कराई गई राशि की रसीद (क्रम संख्या 2 के अनुसार)**

(iii) **आवेदक के किराएदार होने पर संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का प्रारूप :–**

मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते है तो अनुबन्ध पत्र संलग्न करना होगा यदि मकान मालिक हस्ताक्षर करने हेतु मना करे तो क्षतिपूर्ति बंध पत्र संलग्न करना होगा।

अनुबन्ध पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने यह .... जो कि नगर परिषद मकान संख्या .. .. में स्थित है मैसर्स/श्री .... निवासी .... को किराये पर दे दिया है तथा मुझे उक्त भवन में विद्युत कनेक्शन देने पर कोई आपति नहीं है। मैं इस बात की गारन्टी देता हूँ कि जब भी किरायेदार मकान/दुकान/.. खाली करेगा तो मैं इस बात का पूरा–पूरा ध्यान रखूंगा कि निगम की राशि बकाया न रहे। ऐसा न होने की स्थिति में मैं स्वयं निगम की बकाया रकम का देनदार रहूँगा।

हस्ताक्षर किराएदार **साक्षी (1)** **हस्ताक्षर मकान मालिक**

क्षतिपूर्ति बंध पत्र

जैसा कि, मैं .... पुत्र/पत्नी श्री .... उम्र .... वर्ष निवासी.. ने सहायक अभियन्ता ( ), जविविनिलि .... के कार्यालय में विद्युत कनेक्शन हेतू आवेदन किया है। जैसा कि, जविविनिलि ने उक्त .... स्थित मकान/दुकान के मेरे द्वारा अपेक्षित विद्युत कनेक्शन के लिये मकान/दुकान मालिक की सहमति मांगी है।

जबकि मैं मकान/दुकान मालिक का सहमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं, चूंकि जविविनिलि ने इस सम्बन्ध में मुझसे लिखित वचन चाहा है कि अगर मेरे और मकान/दुकान मालिक के मध्य इस विद्युत कनेक्शन से संबंध में अगर किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो निगम इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी निगम को इस कारण हुई किसी प्रकार की क्षति/खर्चों की क्षतिपूर्ति करने का मैं वचन देता हूं। अतः यह अनुबन्ध मकान/दुकान मालिक की बिना सहमति के निगम द्वारा मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन दिये जाने हेतू साक्ष्य किया जाकर मैं वचन देता हूं कि निगम को इस संबंध में हुए वादकरण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियों/क्षतियों एवं खर्चों की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूं।

स्थान :– **(निष्पादक के हस्ताक्षर)**
तारीख :–

साक्षी **नाम :–** ....
पता :– ....

शर्ते :–

1. सर्विस लाइन, कन्ड्यूट पाइप एवं फिटिंग हेतु आवश्यक नट–बोल्ट/क्लिप इत्यादि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
2. इस अनुबन्ध को विद्युत आपूर्ति की शर्ते एवं नियम 2004 एवं टैरिफ 2001 के सभी प्रावधानों, जो कि समय–समय पर लागू हो, की विषय वस्तु के रूप में पढ़ा एवं समझा जावे जो कि इस अनुबन्ध का ही एक भाग माना जावेगा। विद्युत अधिनियम 2003 के सुसंगत प्रावधान एवं इसके अधीन बनाये गए नियम एवं विनियम या इसके कोई पश्चात्वर्ती संशोधन या उपान्तरण अनुबंध को शासित करने वाले प्रावधान होंगे।

विभिन्न श्रेणियों की विद्युत दरें (टैरिफ) निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	श्रेणी	स्थाई शुल्क	प्रति यूनिट दर
1	घरेलू सेवा (अ) प्रथम 50 यूनिट माह (i) प्रथम 50 यूनिट/माह (ii) 50 से अधिक प्रत्येक यूनिट माह **नोट** : ग्रामीण क्षेत्रों में जहां दिन रात विद्युत उपलब्ध नही हो–10 प्रतिशत की छूट । (ब) आवासीय कॉलोनी जहां 11के.वी. पर एक विद्युत कनेक्शन हो ।	 80 रू/कनेक्शन/माह 105 रू/कनेक्शन/माह 100 रू/के.वी.ए. बिलिंग डिमाण्ड माह	 195 पै/यू 350 पै/यू 300 पै/यू
2	अघरेलू सेवा एल टी सप्लाई (अ) समबद्ध भार 5 कि.वा. तक (i) प्रथम 100 यूनिट/माह (ii) 100 से अधिक प्रत्येक यूनिट/माह (ब) समबद्ध भार 5 कि.वा. से अधिक एवं 50 के.वी.ए. तक अधिकतम मांग (i) प्रथम 100 यूनिट/माह (ii) 100 से अधिक प्रत्येक यूनिट/माह एच.टी.सप्लाई (i) प्रथम 100 यूनिट/माह (ii) 100 से अधिक प्रत्येक यूनिट/माह	 80 रू/कनेक्शन/माह 120 रू/कनेक्शन/माह 40 रू/कि.वा./माह 40 रू/कि.वा./माह 60 रू/केवीए बिलिंग डिमाण्ड/माह 60 रू/केवीए बिलिंग डिमाण्ड/माह	 450 पै/यू 490 पै/यू 450 पै/यू 490 पै/यू 450 पै/यू 490 पै/यू
3	सार्वजनिक सड़क प्रकाश सेवा (i) 1 लाख से कम जनसंख्या वाले पंचायत/म्यूनिसिपल क्षेत्रों में (ii) 1 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाले म्यूनिसिपल क्षेत्रों में नोट :– प्रत्येक फीडर पर टाईम स्विच लगाने पर 30 पै/यू की छूट नोट :– प्रत्येक फीडर पर टाईम स्विच लगाने पर 30 पै/यू की छूट	30 रू/ पोइन्ट (अधिकरतम 300 रू/माह) 45 रू/ पोइन्ट (अधिकरतम 900 रू/माह)	350 पै/यू 375 पै/यू
4	कृषि सेवा (अ) मीटर प्रणाली (i) सामान्य (जहां दिन रात विद्युत उपलब्ध न हो) (ii) फार्म हाऊस (iii) अन्य (ब) फ्लेट दर प्रणाली (i) सामान्य (ii) विशेष चारा योजना (iii) अन्य	 50 रू/कनेक्शन प्रति माह 50 रू/कनेक्शन प्रति माह 50 रू/कनेक्शन प्रति माह 20 रू/कनेक्शन प्रति माह 20 रू/कनेक्शन प्रति माह 20 रू/कनेक्शन प्रति माह	 110 पै/यू 340 पै/यू 210 पै/यू 140 रू/हापा/माह 200 रू/हापा/माह 230 रू/हापा/माह
5	लघु औद्योगिक सेवा	35 रू/हापा/माह	350 पै/यू
6	मध्यम औद्योगिक सेवा		

	(i) एल.टी. सप्लाई (50 के.वी.ए. तक) (ii) एच.टी. सप्लाई	50 रू/हापा/माह 80 रू/के.वी.ए./माह	375 पै/यू 375 पै/यू
7	मिश्रित भार सेवा (i) एल.टी. सप्लाई (50 के.वी.ए. तक) (ii) एच.टी. सप्लाई	50 रू/हापा/माह 80 रू/के.वी.ए. बिलिंग डिमाण्ड/माह	375 पै/यू 375 पै/यू
8	वृहत औद्योगिक सेवा	90 रू/के.वी.ए. बिलिंग डिमाण्ड/माह	401 पै/यू

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण :–

निगम द्वारा सभी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन देना । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय के अनुसार कृषि, घरेलू, अघरेलू उद्यौगो को बिजली आपूर्ति सुनिश्चत करना है । बिजली तंत्र का रख–रखाव व उसका सुदृढिकरण करना निगम का एक अन्य मुख्य कार्य है । इन कार्यो के सम्पादन से जनता को बिजली आपूर्ति का कार्य सुचारू रूप से किया जाता है ।